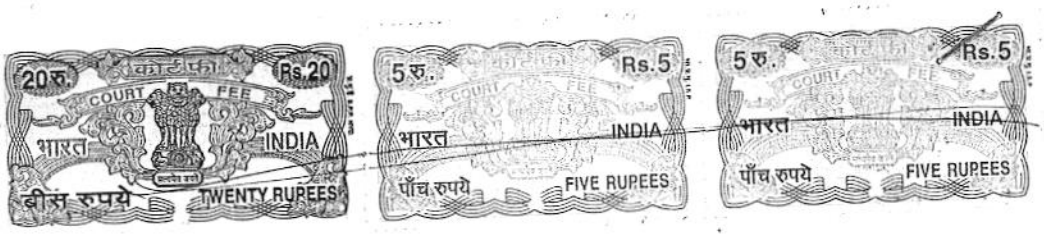

20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

(27)

अपील प्रकरण कमांक........../2018

अपील - 6233/2018/ कटनी/ भू० रा०

त्रिलोकचन्द वल्द चेलाराम

निवासी सिविल लाईन, कटनी जिला कटनी म0प्र0

........**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा कमिश्नर संभाग जबलपुर एवं अपर कलेक्टर कलेक्टर जिला कटनी
2. श्रीमति फागुनी बाई पत्नि स्व0 भुगड़ा, किल्टू वल्द भुगड़ा निवासी ग्राम झिंझरी विधिक वारसान भुगड़ा वल्द मंगिया

.......**उत्तरवादीगण**

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14.11.18 नियत। 01.11.18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

द्वितीय अपील आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 44 (2) म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959

यह कि न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर, जबलपुर संभाग जिन्हे आगे अधिनस्थ न्यायालय से संबोधित किया गया है के **प्रकरण कमांक/214/ बी-214/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 3.10.2016 एवं न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण कमांक/12/बी-121 /2013-14 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2014** से व्यथित होकर मान्नीय न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल 481 01 06 01/11/18

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि, अपीलार्थी उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है तथा अपीलार्थी ग्राम झिंझरी प0ह0नं0 29 रा0नि0मं0 मुड़वारा-2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 685 रकवा 0.09 हे0 भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज है। **राजस्व अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी/1 है।**

Trilokchand

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 6233/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.1.19	यह अपील अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 214/बी–121/2015–17 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम झिझरी प0ह0न0 29 रा0 नि0 म0 मुडवारा–2 तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 685 रकवा 0.09 है0 भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज है। उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2001 के माध्यम से क्रय की गई है। तत्पश्चात् अपीलार्थी का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण दर्ज किया गया है, उक्त भूमि पूर्व में भुगड़ा पुत्र मंगिया के नाम पर दर्ज थी। जिसको वर्ष 1980 के पूर्व पटट्ा प्रदान किया गया था। भुगडा पुत्र मंगिया के द्वारा उक्त भूमि का डार्यवर्सन कराया गया। भुगड़ा की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में उनके वारिसान श्रीमती फागुनी बाई पत्नी स्व0 भुगड़ा, किल्टू पुत्र भुगडा निवासी झिझरी के द्वारा उपरोक्त भूमि का विक्रय वर्ष 2001 में अपीलार्थी को कर दिया गया। अपर कलेक्टर कटनी के द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण क्रमांक 12/बी–121/2013–14 पंजीबद्व कर अपीलार्थी को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 6.6.14 पारित कर उक्त भूमि का खसरा अभिलेखें में अपीलार्थी का नाम विलोंपित कर	

दिया। इस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 3.10.16 द्वारा निरस्त कर दी गई इसी से दुखित होकर इस न्यायालय में अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें संलग्धन धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया है। धारा–5 के आवेदन में दर्शाये गये आधार समाधान कारक होने से धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

3–अपील मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उनकी ओर से पस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4–अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य और सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है, तर्क में बताया है कि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1987–88 में प्रत्यर्थी कमांक–2 का नाम मिसल बंदोबस्त के अनुसार प्रश्नगत भूमि के भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया था। पटटे की अनुमति के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है, किन्तु इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा अधिकारिता रहित कार्यवाही की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि का पटटा स्पष्ट रूप से वर्ष 1987–88 के पूर्व स्वीकृत किया गया था और प्रत्यार्थी–2 का नाम भूमिस्वामी के रूप में बंदोबस्त अभिलेख में वर्ष 1987–88 में प्रदर्शित है, इसलिये प्रत्यर्थी कमांक–2 कलेक्टर की अनुमति के बिना ही भूमि विकय करने में सक्षम था। तर्क में यह भी बताया गया है कि अपर कलेक्टर ने मात्र पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है, जबकि संबंधति

व्यक्तियों की साक्ष्य अंकित किये बिना तथा अपीलार्थी को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है जो आपस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय घोषित किया गया है जिसका अधिकार न्यायालय अपर कलेक्टर को नही है। वर्ष 1987–88 के बाद भूमि के शासकीय अभिलेख में ना तो तद्समय भूमिस्वामी का नाम पटट्ेदार के रूप में नहीं बल्कि भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था। तथा भूमि शासकीय अभिलेख में अहस्तांतरणीय भी अंकित नहीं था ऐसी स्थिति में आदेश त्रुटिपूर्ण है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

5–प्रत्यर्थी शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अपर कलेक्टर जिला कटनी एवं अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण में विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किये हैं वह अपने स्थान पर विधिवत सही एवं उचित हैं। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6–उभयपक्षों के अधिवक्तागण के तर्को के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावों के अवलोकन से प्रतीत है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2001 से पूर्व भूमिस्वामी श्रीमती फागुनी बाई पत्नी स्व0 भुगडा, किल्टू बल्द भुंगडा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं अभिलेख में विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है, विक्रय पत्र की वैधानिकता के संबंध में जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है इस संबंध में 2011 आर0 एन0 193, 2007 आर0 एन0 243, 1984 आर0 एन0 365 एवं 1984 आर0 एन0 5 में यह अभिनिर्धारित किया गया

है। रजिस्ट्री विक्रय विलेख राजस्व न्यायालय इसकी विधि मान्यता की जांच नहीं कर सकते इसके अतिरिक्त मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आदेश दिनांक 6.6.2014 पारित किया है उक्त पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एक पक्षीय था जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं था। बाद ग्रस्त भूमि का विक्रय पूर्व भूमिस्वामी द्वारा स्वेच्छा से रजिस्ट्रार कार्यालय में विक्रय पत्र संपादित कराया गया है। रजिस्ट्री विक्रय विलेख राजस्व न्यायालय इसकी विधि मान्यता की जांच नहीं कर सकते, जिसे अपर कलेक्टर द्वारा भूमि म0 प्र0 शासन घोषित की गई है जो विधि विरूद्व है और इस ओर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला कटनी के प्रकरण कमांक 12/बी—121/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 6.6.14 एवं अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 214/बी—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 3.10.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

सदस्य